

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

सं० :-3/अ०प्र०-1-293/2013 (Recast) 72 /पटना, दिनांक :- 18.10.23

कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर अन्तर्गत मकवा शांतिनगर आर०ई०ओ० पथ से सरौन पथ तक सम्पर्क पथ में क्रियान्वित कार्य की एकरूप वास्तविक स्थलीय मापी (विभिन्न विपत्रों में) अंकित नहीं करने के आरोप में श्री महेश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर के विरुद्ध कार्यालय आदेश ज्ञापांक 295 अनु० दिनांक 12.04.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता-4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 7595 अनु० दिनांक 19.07.2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री रजक के विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में उल्लेख किया गया कि श्री रजक द्वारा जो मापी ली गई है, उसे तीसरे विपत्र में चैनेजवार अंकित कर दिया गया है। मर्दों की मात्रा में कोई अंतर नहीं है कोई वित्तीय क्षति भी नहीं हुई है। अतः श्री रजक को मापी लेने में हुई भूल के दोष से मुक्त किया जा सकता है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए स्थलीय स्थिति के अनुरूप चैनेजवार मापी अंकित नहीं करने के बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 1885 दिनांक 04.12.2020 द्वारा श्री रजक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

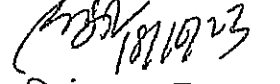
श्री रजक द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर के समीक्षोपरांत पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरुद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाया गया है। मर्दों की मात्रा में भी जाँच के दौरान कोई अंतर नहीं पाया गया है एवं कोई वित्तीय क्षति भी नहीं हुई है।

अतएव वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री महेश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योग्य पाते हुए श्री रजक को प्रश्नगत आरोप से आरोप मुक्त किया जाता है।


(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-293/2013 (Recast) 2269 /पटना, दिनांक :- 18/10/23

प्रतिलिपि :-मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़पुर-तारापुर/सिवान/प्रशाखा पदाधिकारी, पशाखा-4 एवं श्री महेश रजक, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर-तारापुर सम्प्रति कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :-3/अ०प्र०-1-293/2013 (Recast) 2269 /पटना, दिनांक :- 18/10/23

प्रतिलिपि :-विभागीय आईटी0 मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख